कमलानंद ठाकुर

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या 18727

[के साथ 2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18372 में 2017 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1788; 2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2376; 2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7751में 2019 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1609; 2020 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6245]

28 जून 2024

[माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी तागया एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी]

हेडनोट्स

इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियम, 2003 (जिसे आगे ए.सी.पी. नियम कहा जाएगा) के तहत लाभ प्रदान करने के लिए एक शर्त है, मामले को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया। मुख्य मुद्दा यह है कि क्या ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के लिए विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के नियम 157(3)[जे] में कहा गया है कि क्लर्कों को स्थायीकरण और दक्षता बार पार करने के लिए प्रारंभिक लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, और चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। विरोधाभासी व्याख्याएँ सामने आई हैं, कुछ निर्णयों में कहा गया है कि ए.सी.पी. लाभ के लिए परीक्षा आवश्यक है और अन्य ने कहा कि यह आवश्यक नहीं है। ए.सी.पी. लाभ के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता पर अलग-अलग राय के कारण कई मामलों को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया गया। निर्णय - पूर्ण पीठ ने प्रासंगिक नियमों और पिछले निर्णयों की समीक्षा की, तथा ए.सी.पी. योजना के उद्देश्य को गतिरोध के विरुद्ध एक उपाय के रूप में रेखांकित किया। (पैरा 43)

एसीपी/एमएसीपी योजनाओं का उद्देश्य ठहराव के कारण उत्पन्न निराशा को दूर करना है और इसमें वास्तविक पदोन्नति शामिल नहीं है (पैरा 45)

बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 का नियम 157(3)[जे], जिसके अनुसार पदोन्नति के लिए

विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, ए.सी.पी. नियम, 2003 के अंतर्गत ए.सी.पी. लाभ प्रदान करने के मामले में लागू नहीं होता है;

बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 का नियम 157(3)[जे] केवल स्थायीकरण, दक्षता बार पार करने तथा चयन ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए लेखा में प्रारंभिक परीक्षा/अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने तक सीमित है, न कि नियमित पदोन्नति के लिए;

ए.सी.पी. का नियम 4(5) नियम, 2003 में यह प्रावधान है कि योजना (ए.सी.पी. योजना) के तहत वित्तीय प्रगति की निर्धारित आवश्यकताएं और मंजूरी का तरीका वही होगा जो रिक्तियों के विरुद्ध नियमित पदोन्नति के लिए भर्ती/सेवा नियमों के तहत निर्धारित है और यदि नियम/संकल्प विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना या पदोन्नति के लिए कोई योग्यता निर्धारित करते हैं, तो वह भी योजना के तहत लाभ की मंजूरी के लिए एक आवश्यक शर्त होगी, लेकिन बारह/चौबीस साल की सेवा पूरी करने के बाद ए.सी.पी. के अनुदान के दावे को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि ए.सी.पी. योजना के तहत ऐसी वित्तीय प्रगति केवल इन-सीटू {यथावत} पदोन्नति है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह सेवा/भर्ती/पदोन्नति नियमों के तहत पदोन्नति के लिए किसी भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या कोई शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने की किसी भी ऐसी आवश्यकता के बावजूद है। (पैरा 48)

पक्षकारो की ओर से उपस्थिति

(2017 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18727 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री. प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता; श्री कुणाल कुमार, अधिवक्ता; श्री ऋषि राज रमन, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अंजनी कुमार, एएजी- 4; श्री आलोक कुमार राही, एएजी- 4 से एसी; श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, एएजी- 4 से एसी; श्री अमित कुमार झा, एएजी- 4 से एसी

(2017 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1788 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री अब्बास हैदर, एससी- 6; श्री वासी मोहम्मद, एससी-6 से एसी

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री राजेश दयाल, अधिवक्ता

(2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 2376 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए: श्री संजय प्रकाश वर्मा, अधिवक्ता;

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री ए.एन. सिन्हा, जीपी- 21

झारखंड राज्य के लिए: श्री संजय कुमार पांडेय, अधिवक्ता

(2019 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1609 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री अजय, जीए- 5; श्री प्रतीक कुमार सिन्हा, जीए-5 से एसी

उत्तरदाता/ओं के लिए: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री प्रभात रंजन सिंह, अधिवक्ता; श्री गिरीश पांडेय, अधिवक्ता

(2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6245 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री. संजय कुमार घोसरवे, एएजी-3 से एसी

उच्च न्यायालय के लिए: श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता; श्री कनुप्रिया, अधिवक्ता; श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित मलिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च् न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18727

==========

कमलानंद ठाकुर, पिता- स्वर्गीय सूर्य नारायण ठाकुर, निवासी- ग्राम एवं डाक- चन्द्रा वाया रैयाम, थाना- रैयाम, जिला- दरभंगा

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, पटना
3. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, बिहार सरकार, पटना
4. मुख्य अभियंता, सिंचाई विभाग, दरभंगा
5. अधीक्षक अभियंता, पश्चिमी कोसी नहर घेरा, मधुबनी
6. महालेखाकार, बिहार, पटना

..... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2016 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18372

में

2017 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1788

==========

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना
3. प्रधान सचिव, बिहार सरकार का वित्त विभाग, पटना
4. निदेशक, हथकरघा और रेशम उत्पादन, उद्योग विभाग, बिहार, पटना
5. उद्योग का अपर निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. जय प्रकाश प्रसाद, पिता- स्वर्गीय हीरा लाल प्रसाद, निवासी- गाँव और डाकघर- इस्लामपुर, जिला- नालंदा
2. उपेन्द्र प्रसाद सिंह, पिता- स्वर्गीय राम लखन सिंह, निवासी- ग्राम- हसनपुर, डाकघर- कोलावां, थाना- हरनौत, जिला- नालन्दा, बिहारशरीफ

..... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2018 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 2376

==========

वासी अहमद अंसारी, पिता- स्वर्गीय मो. कुर्बान अंसारी, निवासी- ग्राम- पचकेसर, थाना- टेर्रा, करपी, जिला- अरवल, वर्तमान में निवासी- रोड सं. 15-ए, सेक्टर- II, हारून नगर कॉलोनी, थाना- फुलवारीशरीफ, जिला- पटना

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. झारखंड राज्य, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड सरकार, रांची के माध्यम से
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार सरकार, पटना
4. मुख्य वन संरक्षक (मुख्यालय), पटना
5. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पटना
6. प्रभागीय वन पदाधिकारी, गया
7. प्रभागीय वन पदाधिकारी, मुंगेर
8. प्रभागीय वन पदाधिकारी, औरंगाबाद
9. प्रभागीय वन पदाधिकारी, गोपालगंज
10. वन अनुसंधान अधिकारी, रांची, झारखंड

..... उत्तरदाता/ओं

==========

के साथ

2016 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 7751

में

2019 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1609

==========

1. बिहार राज्य, कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, जमुई के माध्यम से
2. प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना
3. सचिव, पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना
4. मुख्य-अभियंता सह विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, पटना
5. आयुक्त, मुंगेर मंडल
6. मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग, दक्षिण बिहार, पटना
7. ज़िला दंडाधिकारी, जमुई
8. अधीक्षक अभियंता, सड़क घेरा, मुंगेर
9. कार्यपालक अभियंता, सड़क मंडल, पथ निर्माण विभाग, जमुई

.....अपीलकर्ता/ओं

बनाम

मंजर हसन, पिता- स्वर्गीय मो. मंजूर अहमद, निवासी- गांव- हसन मंजिल, पश्चिम टोला, वार्ड सं. 18, थाना- खैरा रोड, और जिला- जमुई

..... उत्तरदाता/ओं

========== के साथ

2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6245

==========

राम नरेश चौधरी, लिंग-पुरुष, उम्र - लगभग 65 वर्ष, पिता- स्वर्गीय सत्यदेव चौधरी, निवासी- ग्राम- सोनबर्षा, थाना- बिहपुर, जिला- भागलपुर

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार, पुराना सचिवालय, बेली रोड, पटना के माध्यम से
2. ज़िला दंडाधिकारी, भागलपुर

3 ज़िला लेखा अधिकारी, भागलपुर
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय, भागलपुर
5. प्रभारी न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय, भागलपुर
6. प्रभारी न्यायाधीश, दीवानी न्यायालय, नौगाचिया

..... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थिति :

(2017 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 18727 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री. प्रशांत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री कुणाल कुमार, अधिवक्ता
श्री ऋषि राज रमन, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अंजनी कुमार, एएजी- 4
श्री आलोक कुमार राही, एएजी- 4 से एसी
श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, एएजी- 4 से एसी
श्री अमित कुमार झा, एएजी- 4 से एसी

(2017 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1788 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री अब्बास हैदर, एससी- 6
श्री वासी मोहम्मद, एससी-6 से एसी

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री राजेश दयाल, अधिवक्ता

(2018 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार सं. 2376 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री संजय प्रकाश वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री ए.एन. सिन्हा, जीपी- 21

झारखंड राज्य के लिए : श्री संजय कुमार पांडेय, अधिवक्ता

(2019 का लेटर्स पेटेंट अपील सं. 1609 में)

अपीलकर्ता/ओं के लिए : श्री अजय, जीए- 5
श्री प्रतीक कुमार सिन्हा, जीए-5 से एसी

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री प्रभात रंजन सिंह, अधिवक्ता
श्री गिरीश पांडेय, अधिवक्ता

(2020 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 6245 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुनील कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री. संजय कुमार घोसरवे, एएजी-3 से एसी

उच्च न्यायालय के लिए : श्री सत्यबीर भारती, अधिवक्ता।
श्री कनुप्रिया, अधिवक्ता
श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता

==========

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार
एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री नानी तागया
एवं
माननीय न्यायमूर्ति श्री पार्थ सारथी

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा : माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)
दिनांक : 28-06- 2024

इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने ***कमलानंद ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य. (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 18727/2017)*** में, इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियम, 2003 (**जिसे आगे ए.सी.पी. नियम कहा जाएगा)** के तहत लाभ प्रदान करने के लिए एक पूर्व शर्त है, मामले को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया, और निम्नलिखित प्रश्नों पर निर्णय लिया:

> *(I) क्या बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के नियम 157 के उप-नियम (3) का खंड [जे] बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना) नियम, 2003 के अंतर्गत सुनिश्चित कैरियर प्रगति प्रदान करने के लिए लागू होता है?*
>
> *(II) क्या बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के नियम 157 के उप-नियम (3) का खंड [जे]केवल स्थायीकरण, दक्षता रोध पार करने और चयन ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए लेखा में प्रारंभिक परीक्षा/लेखा में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने तक ही सीमित है, न कि नियमित पदोन्नति के लिए।*
>
> *(III) उपर्युक्त मुद्दो/प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले कोई अन्य सहायक प्रश्न ।*

2. इसी प्रकार, इस न्यायालय की एक खंड पीठ ने ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम मंजर हसन (2019 का एल.पी.ए. सं. 1609, 2016 का सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 7751 से उत्पन्न)*** ने इस मुद्दे पर मतभेद को देखते हुए, फिर से एक बड़ी पीठ को यह तय करने के लिए संदर्भित किया है कि क्या बिहार बोर्ड के विविध नियम 1958, का नियम 157(3)[जे] जो निर्धारित करता है कि बोर्ड द्वारा लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना, ए.सी.पी. नियम, 2003, विशेष रूप से नियम 4(5) के तहत मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक माना जाएगा, क्योंकि समयबद्ध पदोन्नति चयन ग्रेड का विकल्प है और ए.सी.पी. समयबद्ध पदोन्नति का विकल्प है, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि चयन ग्रेड और ए.सी.पी. की शुरुआत के पीछे का उद्देश्य एक ही है।

3. खंडपीठ में संदर्भित ***(2019 का एल.पी.ए. सं. 1609)*** में, पीठ ने पाया कि कुछ मामलों में, अर्थात, ***बिहार राज्य और अन्य बनाम अंजनी कुमार (खं.पी.): 2013 (2) पी.एल.जे.आर. 643; बिहार राज्य एवं अन्य बनाम महेंद्र बैठा (खं.पी.): 2018 (3) पी.एल.जे.आर. 173; बिहार राज्य बनाम मोहम्मद नसरुद्दीन (खं.पी.): 2016 (3) पी.एल.जे.आर. 861; बिहार राज्य एवं अन्य बनाम कुशेश्वर नाथ पांडे एवं अन्य (खं.पी.) : 2013 (1) पी.एल.जे.आर. 939; महेश्वर प्र. सिंह (एफ. बी.): 2000 (4) पी.एल.जे.आर. 262; और दया शंकर सिंह बनाम बिहार राज्य और अन्य, 2010 (3) पी.एल.जे.आर. 220 (एस.जे.)*** के तहत यह निर्णय लिया गया था कि बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के नियम 157(3)[जे] के अंतर्गत या ए.सी.पी. का लाभ प्राप्त करने के लिए, जो कि केवल एक वित्तीय प्रगति है, के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, और ऐसी परीक्षा केवल तभी अनिवार्य है जब विशिष्ट सेवा रूलों में दक्षता रोध पार करने और चयन ग्रेड प्राप्त करने के लिए ऐसा प्रावधान हो।

4. दूसरी ओर, ***रामाधार ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य [2015 का एल.पी.ए. सं. 599 (खं.पी.)]; उदय शंकर प्र. बनाम बिहार राज्य और अन्य (खं.पी.): 2017 (3) पी.एल.जे.आर. 824; बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्री राम सुभग सिंह: 2022 (2) पी.एल.जे.आर. 773; बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमती जीवाची देवी : 2020 (2) बी.एल.जे. 471 और इंदु देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य : 2019 (2) बी.एल.जे. 330*** के दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया कि ए.सी.पी. का लाभ पाने के लिए, बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के तहत लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होगी।

5. ***उदय शंकर प्रसाद*** *(*उपरोक्त*)* का मामला बिहार राज्य के कहने पर सर्वोच्च न्यायालय में लाया गया था, जिसमे, यद्यपि एस.एल.पी. बर्खास्त कर दी गई थी, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि खुद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया कि सेवा शर्तों के दूरगामी परिणाम होंगे, क्योंकि ए.सी.पी. का दावा करने वाले लोग लेखा परीक्षा पास करके अपने प्रदर्शन में सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं करेंगे।

6. ऊपर उल्लिखित, एस.एल.पी., को केवल इस कारण से खारिज कर दिया गया था कि उदय शंकर प्रसाद/प्रतिवादी अपने सेवाकाल के अंतिम चरण में थे और उन्होंने काफी लंबे समय तक मुकदमेबाजी की थी। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया था कि ***उदय शंकर प्रसाद*** *(उपरोक्त)* के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को एक मिसाल के तौर पर नहीं

लिया जाएगा।

7. इसी प्रकार, यह भी ध्यान दिया गया था कि जिन मामलों में उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया था कि ए.सी.पी. का लाभ प्राप्त करने के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है, यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने एस.एल.पी. को खारिज कर दिया था, लेकिन विधि का प्रश्न खुला रखा गया था।

8. इसलिए, उपर्युक्त मुद्दे इस पूर्ण पीठ के समक्ष विचारार्थ में आया ।

9. इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करने से पहले, हम बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के नियम 157(3)[जे] और ए.सी.पी. नियम, 2003 के नियम 4 में निहित प्रावधानों को तत्काल संदर्भ और पूर्णता के लिए अलग करना उचित समझते हैं।

157. लेखा में परीक्षा के लिए

नियम.....

(3.) [जे] *(क) कोई भी लिपिक, जिसने लेखा में प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, उसे न तो स्थायी किया जाएगा और न ही उसे दक्षता रोध पार करने की अनुमति दी जाएगी;*

(ख) एक लिपिक, जिसने अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किया है, उसे चयन ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया जाएगा;

(ग) लेखा परीक्षा में अंतिम रूप से उत्तीर्ण वरिष्ठ लिपिक की अनुपलब्धता की स्थिति में, किसी भी कनिष्ठ लिपिक को, जिसने अंतिम लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, उसे अस्थायी रूप से चयन ग्रेड में पदोन्नत किया जा सकता है:

बशर्ते कि चयन ग्रेड में अस्थायी रूप से पदोन्नत कनिष्ठ लिपिक को लिपिक के पद पर वापस कर दिया जाएगा यदि उससे वरिष्ठ लिपिक अपने प्रथम अधिस्थगन की तिथि से दो वर्ष के भीतर अंतिम लेखा परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है और उक्त दो वर्षों के भीतर किसी भी तिथि से

पदोन्नत हो जाता है, अन्यथा वरिष्ठ लिपिक को उससे पहले चयन ग्रेड में पदोन्नत सभी लिपिकों से कनिष्ठ माना जाएगा।

स्पष्टीकरण.- *(ग) के प्रावधान के तहत, लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की तिथि वह तिथि होगी जिस दिन परीक्षा आयोजित की गई थी और कनिष्ठ लिपिक द्वारा धारित चयन ग्रेड का पद वरिष्ठ लिपिक की पदोन्नति के उद्देश्य से उसी तिथि से रिक्त माना जाएगा। परंतु, वेतन निर्धारण आदि के लिए कनिष्ठ लिपिक को उस तिथि से वापस किया गया माना जाएगा जिस तिथि से वरिष्ठ लिपिक को पदोन्नत किया जाएगा। वापस किए गए कनिष्ठ लिपिक की वरिष्ठता उस तिथि से प्रभावी होगी जिस तिथि से उसे फिर से चयन ग्रेड में स्थायी रूप से पदोन्नत किया जाएगा।*

4. पात्रता एवं शर्तें (ए.सी.पी. नियम, 2003) : *इस योजना के अंतर्गत पात्रता निम्नलिखित शर्तों द्वारा विनियमित होगी :-*

(1) ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत "वित्तीय प्रगति" की स्वीकृति के लिए मूल मानदंड यह है कि क्या संबंधित कर्मचारी समान वेतनमान, संशोधित वेतनमान सहित, में 12/24 वर्षों की निर्धारित अवधि से कार्यरत रहा है। ऐसी स्थिति में, उच्च वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा, भले ही व्यक्ति ने समान वेतनमान में विभिन्न पदों पर कार्य किया हो।

बशर्ते कि यदि मूल नियुक्ति, से भिन्न किसी पद पर उच्चतर वेतनमान में नियुक्ति की जाती है, तो उसे सीधी भर्ती माना जाएगा और योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति के लाभों की स्वीकृति के लिए पूर्व सेवा की गणना

नहीं की जाएगी।

उदाहरण : *(i) यदि सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत किसी व्यक्ति को क्रमबद्ध के पद पर भर्ती किया जाता है, जिसका वेतनमान समान है, तो पिछली सेवा की गणना की जाएगी।*

(ii) क्रमबद्ध के पद से चालक के पद पर भर्ती के मामले में, जिसका वेतनमान उच्चतर है, क्रमबद्ध के पद पर की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी।

(2) सीमित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए गए चयन के आधार पर उच्च पद पर की गई नियुक्ति, इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति की मंजूरी के उद्देश्य से सीधी भर्ती मानी जाएगी और यदि संबंधित भर्ती रूल्स में सीधी भर्ती का प्रावधान है तो निम्न वेतनमान में की गई सेवा की गणना नहीं की जाएगी।

बशर्ते कि यदि संबंधित भर्ती रूल्स के अंतर्गत, निम्न वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए पदोन्नति कोटा निर्धारित किया गया है, तो ऐसी नियुक्ति को योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति के लाभ के लिए पदोन्नति माना जाएगा और वित्तीय प्रगति के लाभों की स्वीकृति के लिए पिछली सेवा को भी गिना जाएगा।

स्पष्टीकरण : *(i) उदाहरण के लिए, यदि संबंधित भर्ती रूल्स में उप-समाहर्ता संवर्ग के रिक्त पदों को केवल सीधी भर्ती द्वारा भरने का प्रावधान है और किसी सचिवालय सहायक की उक्त ग्रेड में भर्ती सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाती है, तो उसे योजना के अंतर्गत लाभ की स्वीकृति के उद्देश्य से सीधी भर्ती माना जाएगा। ऐसे मामलों में, निम्न वेतनमान में की गई सेवा की अवधि को योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति के*

लाभ के लिए नहीं गिना जाएगा। दूसरी ओर, अगर एल.डी.सी. की नियुक्ति के लिए संबंधित भर्ती नियम समूह 'घ' कर्मचारी के लिए पदोन्नति कोटा निर्धारित करता है, तो समूह 'घ' के रूप में की गई सेवा को योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति की स्वीकृति के लिए गिना जाएगा, जो पदोन्नति कोटे के अधीन है और उन्हें एक वित्तीय प्रगति प्राप्त हुई मानी जाएगी।

(ii) सहायक अभियंता संवर्ग में कनिष्ठ अभियंताओं के लिए पदोन्नति कोटा निर्धारित है, हालाँकि इस पदोन्नति के लिए कोई प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान नहीं है। हालाँकि, कनिष्ठ अभियंता के लिए, इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने पर, सहायक अभियंता संवर्ग में पदोन्नति का प्रावधान है। इसलिए, एक कनिष्ठ अभियंता को इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति के लाभों की स्वीकृति के प्रयोजनार्थ पदोन्नति प्राप्त माना जाएगा, भले ही दोनों संवर्ग अलग-अलग हों। ऐसे कर्मचारियों को पहली वित्तीय प्रगति प्राप्त हुई मानी जाएगी।

[(ii.क) नियमित कार्यभारित कर्मचारी को ए.सी.पी. पदोन्नति प्रदान करने के लिए कार्यभारित के रूप में उनके कार्यकाल को गिना जाएगा।

(3) यह निर्धारित करने के लिए कि क्या योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति का लाभ देय है या नहीं या कितनी प्रगति देय है, संबंधित कर्मचारी के सेवा इतिहास की जाँच, जिसमें प्रत्येक वेतन संशोधन के बाद स्वीकृत वेतनमान भी शामिल है, अत्यंत आवश्यक है ताकि यह सत्यापित किया जा सके कि प्रारंभिक नियुक्ति के बाद वित्तीय प्रगति का लाभ दिया गया है या नहीं और यदि हाँ, तो कितना?

स्पष्टीकरण : *यदि कोई कर्मचारी स्केल-1 में*

नियुक्त है और अब वह स्केल-2 में है, तो उसे ए.सी.पी.एस. के तहत स्केल-3 में एक और वित्तीय प्रगति प्रदान की जाएगी। इस प्रकार, यदि कोई कर्मचारी स्केल-1 में नियुक्त है और अब स्केल-3 में है, तो उसे कोई वित्तीय प्रगति प्रदान नहीं की जाएगी।

(4) केवल नियमित सेवा, जिसे नियमित पदोन्नति के लिए गिना जाता है, को ए.सी.पी.एस. के तहत वित्तीय प्रगति के लिए गिना जाएगा। परिणामस्वरूप, तदर्थ आधार पर की गई सेवा की अवधि, भले ही बाद में उसे नियमित कर दिया गया हो और वेतन वृद्धि की मंजूरी दे दी गई हो, को इस योजना के तहत वित्तीय प्रगति के लाभों की मंजूरी के लिए नहीं गिना जाएगा।

***स्पष्टीकरण : (i)** आकस्मिक या दैनिक मजदूरी आधार/अनुबंध '[एक्स एक्स एक्स] आधार या अस्थायी आधार पर प्रदान की गई सेवा को योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति का लाभ के लिए नहीं गिनी जायेगी।*

(ii) यदि अस्थायी सेवा '[एक्स एक्स एक्स] के अंतर्गत कार्यरत कोई कर्मचारी नियमित सेवा में प्रवेश करता है, तो ऐसे नियमितीकरण की तिथि से शुरू होने वाली अवधि या केवल नियमित सेवा की अवधि को ही योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति के लाभों की स्वीकृति के लिए गिना जाएगा।

[(ii.क) - कार्यभारित के रूप में सेवा काल की अवधि ए.सी.पी. के लिए गिनी जाएगी इन कर्मचारियों के लिए नियमित किए गए जिनको कार्यभारित किया गया है।

(iii) यदि किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय का कोई कर्मचारी राज्य सरकार की नियमित सेवा में प्रवेश करता है, तो सरकारी सेवा में प्रवेश

की तिथि से उसकी सेवा अवधि को ही इस योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति की मंजूरी के लिए गिना जाएगा।

(5) इस योजना के अंतर्गत निर्धारित आवश्यकताएं और वित्तीय प्रगति की स्वीकृति का तरीका वही होगा जो रिक्तियों पर नियमित पदोन्नति के लिए भर्ती/सेवा रूल्स में निर्धारित है। यदि रूल्स/प्रस्ताव में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना या पदोन्नति के लिए कोई योग्यता निर्धारित की गई है, तो यह भी योजना के अंतर्गत लाभ की स्वीकृति के लिए एक अनिवार्य शर्त होगी, बशर्ते कि 12/24 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, वित्तीय प्रगति देय हो जाएगी और इसके लिए नियमित पदोन्नति के लिए निर्धारित अवधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

स्पष्टीकरण: *(i) किसी भी रूल्स में निहित कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों को नियमित पदोन्नति के लिए सेवा अवधि में छूट के प्रावधान के बावजूद, योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रगति के लाभों के लिए 12/24 से पात्रता वर्ष की अवधि में शर्तों में कोई छूट नहीं दी जाएगी।*

(ii) यदि किसी सरकारी कर्मचारी को दी गई पहली वित्तीय प्रगति अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के कारण या सरकारी कर्मचारी के पदोन्नति के लिए अयोग्य पाए जाने के कारण नियमित सेवा के 12 वर्षों से अधिक विलंबित हो जाती है, तो योजना के अंतर्गत दूसरी वित्तीय प्रगति पहली वित्तीय प्रगति की तिथि से 12 वर्ष बाद दी जाएगी।

[(6) किसी भी संवर्ग/पदानुक्रम के उच्च पद पर पदोन्नति प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी, योजना के अंतर्गत, अनुशंसा या अनुवीक्षण समिति के आधार पर, वित्तीय प्रगति प्रदान करने के लिए भी सक्षम प्राधिकारी होगा।

(जोर प्रदान किया गया

10. हमारे अनुमान के अनुसार, इस विषय पर निर्णय विधि का संक्षिप्त विवरण देना आवश्यक होगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कानून की व्याख्या और विकास किस प्रकार किया गया है।

11. ***मो. शम्सुद्दीन और अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य : 1983 पी.एल.जे.आर. 347,*** में रिट याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों की निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के आदेशों को इस आधार पर चुनौती दी थी कि यह पदोन्नति उनकी अधिक्रमण के समान होगी। याचिकाकर्ताओं ने अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में कार्यभार संभाला था और उन्हें स्थायी कर दिया गया था। उच्च श्रेणी लिपिक या चयन ग्रेड लिपिक पद पर पदोन्नति के उनके मामलों पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया कि उन्होंने बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के अनुसार लेखा में अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। उनका तर्क था कि बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 स्वतंत्रता से पहले वर्ष 1947 में अस्तित्व में आए थे। स्वतंत्रता के बाद, संविधान के तहत, इन रूल्स को कानून द्वारा अपनाया गया। इसलिए, ये नियम वैधानिक नियम बन गए।

12. बाद में, में वर्ष 1958, बोर्ड के विविध रूलों का संशोधित संस्करण कुछ संशोधनों के साथ प्रकाशित किया गया। हालाँकि, बोर्ड के 1958 के विविध नियम किसी क़ानून द्वारा नहीं बल्कि एक कार्यकारी आदेश द्वारा प्रख्यापित किए गए थे। इसलिए, यह तर्क दिया गया कि बोर्ड के विविध नियम, 1958, बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1947 के किसी भी प्रावधान को रद्द नहीं कर सकते। यह भी तर्क दिया गया कि वर्ष 1910 में, निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों को एकीकृत कर दिया गया था और सहायकों का एक नया संवर्ग बनाया गया था। इसलिए, बदली हुई परिस्थितियों में, उच्च श्रेणी लिपिक या चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

13. इस तरह की दलील को स्वीकार करते हुए, ***मो. शम्सुद्दीन*** *(उपरोक्त)* के खंड पीठ में यह निर्णय दिया था की चयन ग्रेड लिपिक का पद बोर्ड के विविध नियम*, 1947* के अस्तित्व में आने के काफी बाद सृजित किया गया था और ये नियम वैधानिक हो गए। चूँकि यह नहीं प्रदान करता या यह प्रावधान नहीं था कि चयन ग्रेड पदों पर पदोन्नति के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है*,* इसलिए रिट याचिकाकर्ताओं को पदोन्नति के लिए योग्य पाए जाने पर भी कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा।

14. पीठ ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि विधानमंडल ने राज्य के मामलों से संबंधित सार्वजनिक सेवा और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए कोई नियम नहीं बनाया है। स्पष्टतः इसी कारण से, यह माना गया कि बोर्ड के विविध नियम, 1947 के प्रावधान, जिन्हें स्वतंत्रता के बाद अपनाया गया था और जो वैधानिक हो गए, नियमों में निहित प्रावधानों के उल्लंघन में किसी भी कार्यकारी आदेश द्वारा संशोधित नहीं किए जा सकता।

15. यह व्याख्या मामला में भ्रम उत्पन्न कर दिया था और अंत में, मुद्दा ***महेश्वर प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य (एफ.बी.) : 2000 (4) पी.एल.जे.आर. 262*** में पूर्ण पीठ के सामने आया। पूर्ण पीठ के समक्ष मुख्य मुद्दा यह था कि क्या मुफस्सिल कार्यालयों में कार्यरत लिपिकों को चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए लेखा विभाग की परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

16. पूर्ण पीठ के समक्ष, पीड़ित याचिकाकर्ताओं का यह मामला था कि यद्यपि बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1947 के नियम 157(3)[जे] के अंतर्गत निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति की आवश्यकता थी, किन्तु 01.05.1980 से निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक के पदों के समामेलन और लिपिकों के एक सामान्य संवर्ग के सृजन के बाद, यह प्रावधान अनुपयुक्त हो गया और बोर्ड के विविध रूल्स में सम्मिलित कार्यकारी आदेशों द्वारा चयन ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में समान बाधा उत्पन्न करने के लिए नियम में बाद में किए गए संशोधनों का कोई कानूनी प्रभाव नहीं होगा क्योंकि नियम 157(3) [जे], जैसा कि यह मूल रूप से 1947 के नियमों में था, वैधानिक बल रखता था, जिसे किसी भी कार्यकारी आदेश द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता था।

17. इस प्रकार, निम्न श्रेणी लिपिक/उच्च श्रेणी लिपिक के पदों के समामेलन के बाद लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं होने के कारण, पीड़ित याचिकाकर्ताओं को 1964 में सृजित चयन ग्रेड या 1981 में सृजित वरिष्ठ चयन ग्रेड पर लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करने के आधार पर पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।

18. बिहार बोर्ड के विविध रूल्स का प्रासंगिक नियम , जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है, “सुधार पर्ची सं. 30”, दिनांक 29.03.1982 के आधार पर था, जिसे फिर से संशोधित किया गया; इस बार संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत “सांविधिक आदेश सं. 431”, दिनांक 29.04.1985 के तहत।

19. पूर्ण पीठ ने कहा कि बोर्ड के विविध नियम राजस्व बोर्ड द्वारा बनाए गए थे और राज्य सरकार के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों पर इस सीमा तक लागू थे कि वे निर्देश नहीं थे, विशेष रूप से संबंधित विभाग द्वारा किसी विशेष कार्यालय के संबंध में जारी किए गए असंगत निर्देशों से। ये रूल्स मूल रूप से 1947 में बनाए गए थे, जो 26.04.1950 की अधिसूचना के तहत वैधानिक हो गए क्योंकि यह 26.01.1950 से पहले से मौजूद एक नियम था।

20. यह उन पीड़ित याचिकाकर्ताओं के तर्क का आधार था, जिन्हें केवल इस आधार पर चयन ग्रेड में पदोन्नति नहीं दी गई थी कि उन्होंने लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। हालाँकि, पूर्ण पीठ ने यह राय दी कि 1958 के रूल्स को 1947 के रूल्स के अनुक्रम में पढ़ा जाना चाहिए; इस तथ्य के बावजूद कि नियम के वैधानिक हो जाने के बाद किए गए कार्यकारी संशोधनों को वैधानिक प्रकृति का नहीं माना जा सकता। हालाँकि, पूर्ण पीठ ने ***संत राम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य: ए.आई.आर 1967 एस.सी. 1910*** में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जहाँ यह माना गया था कि वैधानिक नियम के अभाव में, सरकार प्रशासनिक निर्देश जारी करने के लिए सक्षम है और इस प्रकार, यदि लागू वैधानिक नियम किसी विशेष विषय पर मौन है, तो सरकार के लिए रूल्स को पूरक करने के लिए आदेश देने और प्रशासनिक निर्देश जारी करने के लिए स्वतंत्र होगा, इस शर्त के साथ कि ऐसे आदेश/निर्देश उन रूल्स के असंगत या प्रतिकूल नहीं हैं।

21. इस मुद्दे की जाँच करते समय कि क्या चयन ग्रेड के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता वाले रूल्स में बाद में किए गए संशोधन वैधानिक नियमो {नियम 157(3)[जे]} के साथ असंगत था, जैसा कि यह मूल रूप से 1947 के नियमो में था, या जैसा कि बाद में 1963 और 1982 में सुधार पर्चियों के आधार पर, यह पाया गया कि लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना हमेशा दक्षता रोध पार करने या स्थायीकरण या पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए अनिवार्य माना जाता था। अंतर केवल इतना था कि पहले, पदोन्नति के संबंध में, यह आवश्यकता निम्न श्रेणी लिपिक से उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति के लिए लागू थी, लेकिन दिनांक 29.03.1982 के "सुधार पर्ची सं. 30" द्वारा संशोधन के बाद, इसे चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए लागू कर दिया गया।

22. इस प्रकार, पूर्ण पीठ का यह मत था कि मोहम्मद शम्सुद्दीन *(उपरोक्त)* मामले में, नियम में दिनांक 29.03.1982 के “सुधार पर्ची सं. 30” के तहत लाये गए संशोधनों

को उसके संज्ञान में नहीं लाया गया था। पूर्ण पीठ ने ***ललित मोहन देव बनाम भारत संघ: ए.आई.आर. 1972 एस.सी. 995*** के निर्णय पर भी ध्यान दिया कि :-

> *"यह सच है कि चयन ग्रेड में सहायकों के चयन को नियंत्रित करने वाले कोई वैधानिक नियम नहीं हैं। लेकिन ऐसे रूल्स का न होना प्रशासन को उच्च ग्रेड में पदोन्नति के संबंध में निर्देश देने से नहीं रोकता, जब तक कि ऐसे निर्देश उस विषय से संबंधित किसी भी नियम के साथ असंगत न हों।"*

23. पूर्ण पीठ ने उच्च पदों पर पदोन्नति और चयन ग्रेड में पदोन्नति के बीच के अंतर पर भी प्रकाश डाला। पदोन्नति का तात्पर्य सामान्यतः उच्च वेतन वाले उच्च पद पर पदोन्नति से है। चयन ग्रेड की अवधारणा केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा उन कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित की गई थी जिनके पास उच्च वेतनमान वाले उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उनके कर्तव्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया था। ऐसे पद, जो सामान्यतः कुल पदों के 10% से अधिक नहीं होते थे, उन्हें पदानुक्रम में उच्च पदों से अलग चयन ग्रेड के रूप में वर्णित किया गया था।

24. इस प्रकार, 01.05.1980 से 29.03.1982 के बीच की अवधि के लिए, पूर्ण पीठ का विचार था कि निम्न श्रेणी लिपिक और उच्च श्रेणी लिपिक पदों के समामेलन के बाद, लिपिकों को पदोन्नति के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु आवश्यक किसी प्रावधान के अभाव में, पीड़ित याचिकाकर्ताओं को विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। उस अवधि के दौरान लेखा परीक्षा उत्तीर्ण न करने के कारण उन्हें पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता था क्योंकि 29.03.1982 का संशोधन प्रशासनिक निर्देश का परिणाम था और इसका कोई पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता था। लेकिन 29.04.1985 से शुरू होने वाली अवधि के लिए, संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत संशोधन लाए जाने के बाद, लिपिकों को केवल लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ही चयन ग्रेड पद पर पदोन्नत किया जा सकता था।

25. ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम कुशेश्वर नाथ पाण्डेय : 2013 (1) पी.एल.जे.आर. 939*** में यह प्रश्न पुनः उठा कि क्या विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना समयबद्ध पदोन्नति प्रदान करने के लिए एक आवश्यक पूर्व शर्त थी। यह निर्णय दिया गया कि रूल्स में शुरू से ही उच्च पद पर पदोन्नति के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना एक पूर्व शर्त थी, जिसमें समयबद्ध पदोन्नति योजना के तहत उच्च ग्रेड में पदोन्नति भी शामिल है।

26. ***बिहार राज्य और अन्य बनाम अंजनी कुमार : 2013 (2) पी.एल.जे.आर.***

643, में पीठ के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या ए.सी.पी. नियम, 2003 के तहत सुनिश्चित कैरियर प्रगति प्रदान करने के लिए विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना एक अनिवार्य शर्त होगी। खंडपीठ ने, ***महेश्वर प्रसाद सिंह*** (उपरोक्त) में पूर्ण पीठ के निर्णय और ***कुशेश्वर नाथ पांडे*** (उपरोक्त) में खंडपीठ के निर्णय, को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

> *"इसमें कोई विवाद नहीं है कि विचाराधीन पदोन्नति बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 द्वारा शासित है। उक्त नियम के नियम 157 में विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान है, जो आगे की पदोन्नति के लिए एक पूर्व शर्त है। रिट याचिकाकर्ता ने विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। इसलिए, वह पदोन्नति के लिए पात्र नहीं था। परिणामस्वरूप, वह ए.सी.पी. के तहत वित्तीय प्रगति का हकदार नहीं था।"*

27. यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस मामले में, पीड़ित याचिकाकर्ता ने इस आधार पर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट मांगी थी कि उसकी आयु 50 वर्ष हो गई है और सरकारी परिपत्र दिनांक 15.05.1992 के अनुसार, ऐसी छूट दी जा सकती है। लेकिन ***महेश्वर प्रसाद सिंह*** (उपरोक्त) मामले में पूर्ण पीठ के फैसले, अर्थात्, सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमो में संशोधन, परिवर्तन या उनका स्थान नहीं ले सकती, और खंडपीठ के ***कुशेश्वर नाथ पांडे*** (उपरोक्त) में, प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया।

28. हालाँकि, यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस मामले में, खंडपीठ ने इस आधार पर आगे कार्यवाही की कि संबंधित पदोन्नति (ए.सी.पी.) बोर्ड के विविध रूल्स द्वारा शासित थी।

29. ***अविनाश चंद्र सिंह*** नामक एक व्यक्ति को ए.सी.पी. रूल्स के तहत दूसरी समयबद्ध पदोन्नति और दो ए.सी.पी. का लाभ इस आधार पर देने से इनकार कर दिया गया था कि उन्होंने विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी। उदाहरण में ***[अविनाश चंद्र सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य: 2012 (1) पी.एल.जे.आर. 663],*** यह निर्णय लिया गया कि सरकार के दिनांक 12.08.1992 के पत्र के मद्देनजर, जिसमें यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि जिन व्यक्तियों को 01.09.1983 से पहले पदोन्नति दी गई थी, उन्हें केवल इस आधार पर वापस नहीं किया जाएगा कि उन्होंने ऐसी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है और 01.09.1983 से पहले दी गई पदोन्नति को उक्त परीक्षा उत्तीर्ण न करने के आधार पर वापस नहीं लिया जाएगा, याचिकाकर्ता की शिकायत को वास्तविक पाया गया और सरकार को निर्देश दिया कि वह

कानून के अनुसार पुन-पदोन्नति के साथ ए.सी.पी. के लिए उनके मामले पर विचार करें।

30. कई वर्षों बाद, ***उदय शंकर प्रसाद (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 6326/2016 में एल.पी.ए. सं. 1871/2016)*** के मामले में, इस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जहाँ याचिकाकर्ता, जिसे बिहार सरकार के पथ निर्माण विभाग में संकलन लिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था, को ए.सी.पी. नियम , 2003 के तहत बारह और चौबीस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दो पदोन्नति प्रदान की गई; जिसका लाभ सरकार द्वारा वापस लेने को कहा गया और उसे दी गई राशि इस आधार पर वसूलने की मांग की गई कि पीड़ित व्यक्ति ने ए.सी.पी. के तहत लाभ दिए जाने के बाद ही विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो ए.सी.पी. नियम, 2003 के नियम 4(5) में निहित प्रावधान से परे था।

31. ए.सी.पी. नियम, 2003 और बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद, पीठ ने यह पता लगाने की कोशिश की कि क्या संकलन लिपिक को जिस उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, उसके लिए कोई पदोन्नति नियम या भर्ती नियम हैं। ऐसा न मिलने पर, यह पाया गया कि संकलन लिपिक के पास आगे पदोन्नति और उच्च पद पर भर्ती के लिए कोई और रास्ता नहीं है।

32. पीठ के सामने प्रश्न यह था कि क्या ***कुशेश्वर नाथ पांडे*** *(उपरोक्त)* के मामले में निर्धारित सिद्धांत/कानून और ए.सी.पी. नियम, 2003, पदोन्नति और मौद्रिक लाभ वापस लेने का राज्य का निर्णय उचित था या नहीं।

33. ए.सी.पी. नियम में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि ए.सी.पी. योजना के तहत वित्तीय प्रगति की निर्धारित आवश्यकता और स्वीकृति का तरीका वही होगा जो रिक्तियों पर नियमित पदोन्नति के लिए भर्ती/सेवा नियमो में निर्धारित है। खंडपीठ के समक्ष यह स्पष्ट और असंदिग्ध पाया गया कि विचाराधीन योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, किसी कर्मचारी को भर्ती या सेवा नियमों में निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करना होगा, जो कि धारित पद से अगले उच्च पद पर नियमित पदोन्नति के लिए निर्धारित हैं।

34. हालाँकि, चूँकि संकलन लिपिकों के लिए कोई सेवा नियम नहीं थे और ऐसे लिपिकों के लिए किसी उच्च पद पर पदोन्नति का कोई अन्य रास्ता नहीं था, इसलिए नियम 4(5) ए.सी.पी. नियम, 2003 को अनुपयुक्त कहा गया।

35. खंडपीठ ने यह भी पाया कि चूँकि 2003 के ए.सी.पी. नियम भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जिनमें ऐसी कोई शर्त नहीं है कि बिहार

बोर्ड के विविध नियम, 1958 के तहत ए.सी.पी. प्रदान करने के लिए लागू होंगे, इसलिए राज्य को इस योजना के तहत पीड़ित याचिकाकर्ता को पहले से दिए गए लाभों को वापस लेने का अधिकार नहीं है।

36. ***रामाधार ठाकुर बनाम बिहार राज्य और अन्य (2015 का एल.पी.ए. सं. 599, सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 486/2014 से उत्पन्न)*** में,एक ऐसा ही प्रश्न उठा। उस मामले में भी, पीड़ित याचिकाकर्ता की सेवा को नियंत्रित करने वाला कोई नियम न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया था। पीठ के समक्ष तर्क दिया गया था कि बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 के नियम 157(3)[जे]में निहित प्रावधानों में चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने की शर्त निर्धारित की गई थी, लेकिन नियमित पदोन्नति के लिए नहीं। पीठ ने पाया कि ए.सी.पी. नियम, 2003 के नियम 4(5) के मद्देनजर, नियमित पदोन्नति प्रदान करने की आवश्यकता ए.सी.पी. प्रदान करने के मामलों पर विचार करके लागू होगी, लेकिन चूँकि नियमित पदोन्नति के लिए लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करने का कोई प्रावधान निर्धारित नहीं है, इसलिए पीड़ित याचिकाकर्ता को ए.सी.पी. प्रदान करने से इनकार नहीं किया जा सकता था।

37. हालाँकि, ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम महेंद्र बैठा (सी.डब्ल्यू.जे.सी.सं. 13975/2011 से उत्पन्न एल.पी.ए. सं. 332/2017)*** में, इस न्यायालय की खंडपीठ ने पाया कि यद्यपि ए.सी.पी. नियम , 2003 का सार एक ठहराव-रोधी उपाय था, लेकिन 2003 के रूल्स में निर्धारित नीति का व्यापक ढाँचा यह है कि व्यक्ति को बिना पदोन्नति के अपने पद पर बारह वर्ष और उसके बाद, अन्य बारह वर्ष तक बने रहना चाहिए, जिससे ए.सी.पी. प्रदान करने के लिए यह अवधि चौबीस वर्ष हो जाती है और लाभ केवल तभी प्राप्त होगा जब कोई कर्मचारी मूल पदोन्नति के लिए आवश्यक सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और यदि इसमें कुछ विभागीय परीक्षा आदि उत्तीर्ण करना शामिल है, तो इसे ए.सी.पी. की योजना के अभिन्न अंग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

38. इस न्यायालय की एक अन्य खंडपीठ ने ***बिहार राज्य एवं अन्य बनाम श्रीमती जीवाची देवी (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 679/2015 से उत्पन्न, एल.पी.ए. सं. 833/2017)*** के मामले में, रामाधार ठाकुर (उपरोक्त) पर भरोसा करते हुए यह निर्णय दिया कि बिहार बोर्ड के विविध नियम , 1958 के तहत लेखा परीक्षा या विभागीय परीक्षा, जैसा भी मामला हो, उत्तीर्ण करना केवल कार्यकुशलता सीमा पार करने, स्थायीकरण और चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए आवश्यक होगा, लेकिन सामान्य पदोन्नति के लिए नहीं।

39. इस न्यायालय के एकल पीठ ने ***मसोमात इंदु देवी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।: 2019 (2) पी.एल.जे.आर. 241*** में यह भी कहा कि:-

(क) 2003 के ए.सी.पी. नियम पदोन्नति का कोई रास्ता नहीं प्रदान करते हैं, बल्कि किसी कर्मचारी को पदोन्नति न दिए जाने की स्थिति में केवल वित्तीय प्रगति प्रदान करते हैं ;

(ख) ऐसी योजना का प्राप्तकर्ता/लाभार्थी ऐसा कर्मचारी होना चाहिए जो अन्यथा उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हो;

(ग) बिहार बोर्ड विविध रूल्स, 1958 के अंतर्गत लेखा परीक्षा या विभागीय परीक्षा, जैसा भी मामला हो, उत्तीर्ण होना दक्षता रोध पार करने, स्थायीकरण और चयन ग्रेड में पदोन्नति के लिए आवश्यक होगा, लेकिन सामान्य पदोन्नति के लिए नहीं; और

(घ) परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता केवल विभाग के सेवा रूल्स के अनुसार ही किसी कर्मचारी पर जोर दिया जा सकता है और लागू किया जा सकता है और 2003 के ए.सी.पी. नियम तब लागू होते हैं जब संवर्ग में पदोन्नति के कोई अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं।

40. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि ***रामाधार ठाकुर*** (उपरोक्त) के मामले में खंडपीठ का निर्णय ***कुशेश्वर नाथ पांडे*** (उपरोक्त) और ***अंजनी कुमार*** (उपरोक्त) मामले में खंडपीठ के निर्णय के विपरीत है, क्योंकि ***रामाधार ठाकुर*** (उपरोक्त) मामले में इन दो निर्णयों पर ध्यान नहीं दिया गया था। यह भी एक कारण था कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***कमलानंद ठाकुर (सी.डब्ल्यू.जे.सी. सं. 18727/2017)*** मामले में इस मुद्दे को एक बड़ी पीठ के समक्ष भेजा।

41. ***अमरेश कुमार सिंह एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य: 2023 (2) पी.एल.जे.आर. (एस.सी.) 423*** में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर अब यह विवाद सुलझ गया है, जिसमें संबंधित कानून की बहुत उदार और व्यापक व्याख्या की गई है। उस मामले में, अपीलकर्ताओं को लेखा लिपिक के पद पर नियुक्त किया गया था, जहाँ न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट थी। 1980 से पहले मौजूद, कनिष्ठ लेखा लिपिक और वरिष्ठ लेखा लिपिक का संवर्ग 1 मई, 1980 से विलय हो गया था और लेखा लिपिक का एक सामान्य संवर्ग अस्तित्व में आया था। 1999 में, संवर्ग का विभाजन हुआ और लिपिकों को बिना किसी

पदोन्नति के अपने-अपने संवर्गों में बनाए रखा गया। उन लिपिकों को रिट-न्यायालय द्वारा ए.सी.पी. का लाभ दिया गया; लेकिन अपील में, राज्य के इस तर्क को खंडपीठ ने स्वीकार कर लिया कि ए.सी.पी. प्रदान करने के लिए, नियमों के अनुसार, स्नातक की योग्यता अनिवार्य थी, जो कि अपीलकर्ताओं के पास नहीं थी। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं को ए.सी.पी. का लाभ देने संबंधी रिट-न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया।

42. सर्वोच्च न्यायालय ने, जैसा 28 मार्च, 2000 को संशोधित, बिहार लेखा सेवा नियम, 2000, के समीक्षा के बाद जिसमें बिहार लेखा सेवा में पदोन्नति के लिए न्यूनतम स्नातक योग्यता का प्रावधान था, और साथ ही 2003 के ए.सी.पी. नियम, जिसमें यह कहा गया कि लाभार्थी को पदोन्नति के लिए आवश्यक समान शर्तों को पूरा करना होगा, कहा कि "पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए भर्ती नियमों के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा करना गैर-कार्यात्मक स्व-स्थाने पदोन्नति के लिए आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित शैक्षिक योग्यता, यथास्थान पदोन्नति प्रदान करने के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात्, केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करने के लिए, जहां पदोन्नति के कोई अवसर नहीं हैं और कर्मचारियों के स्थिर रहने की संभावना है।

43. इस निष्कर्ष पर पहुँचते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ए.सी.पी. योजना, समूह ग और घ के कर्मचारियों के संदर्भ में, पाँचवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू की गई थी और यह उन कर्मचारियों को बारह वर्ष और चौबीस वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने पर आर्थिक लाभ प्रदान करती थी, जिन्हें पदोन्नति नहीं मिल पा रही थी। यह योजना अपने आप में गतिरोध-विरोधी थी और इसमें कर्मचारियों को वास्तविक पदोन्नति दिए बिना, केवल वित्तीय उन्नयन प्रदान करने के लिए उच्च वेतनमान में रखने की परिकल्पना की गई थी।

44. ए.सी.पी. का लाभ इस प्रकार है जैसे कि गैर कार्यात्मक में यथास्थान पदोन्नति।

45. सर्वोच्च न्यायालय ने ***भारत संघ एवं अन्य बनाम सी.आर. माधव मूर्ति एवं अन्य : (2022) 6 एस.सी.सी. 183 और भारत संघ एवं अन्य बनाम जी. रंजना एवं अन्य : (2008) 14 एस.सी.सी. 721*** का हवाला देते हुए माना है कि ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. योजना केवल ठहराव के कारण उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए है और इसमें पदोन्नति पद का वास्तविक अनुदान शामिल नहीं है, बल्कि योग्यता और पात्रता मानदंडों को पूरा करने पर अगले उच्च ग्रेड के रूप में केवल मौद्रिक लाभ प्रदान करना शामिल है।

46. ये कर्मचारियों के लिए एक विशेष सेवा अवधि पूरी करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ हैं, लेकिन पदोन्नति के अवसरों के अभाव में उन्हें पदोन्नति नहीं मिलती।

47. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि योजना के प्रभाव का आकलन योजना के उद्देश्य और तात्पर्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, यह भी माना गया कि पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए भर्ती रूल्स के तहत निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पूरी करना, ए.सी.पी. प्रदान करने जैसी गैर-कार्यात्मक यथास्थान पदोन्नति के लिए आवश्यक नहीं है।

48. इस प्रकार, प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:-

(क) बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 का नियम 157(3)[[J], जिसके तहत पदोन्नति के लिए विभागीय लेखा परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, ए.सी.पी. नियम, 2003 के तहत ए.सी.पी. लाभ प्रदान करने के मामले में लागू नहीं होता है;

(ख) बिहार बोर्ड के विविध नियम, 1958 का नियम 157(3)[[जे] केवल स्थायीकरण, दक्षता रोध पार करने और चयन ग्रेड में पदोन्नति के प्रयोजनों के लिए लेखा में प्रारंभिक परीक्षा/अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने तक ही सीमित है, नियमित पदोन्नति के लिए नहीं;

(ग) ए.सी.पी. नियम, 2003 का नियम 4(5) यद्यपि यह प्रावधान करता है कि इस योजना (ए.सी.पी. योजना) के अंतर्गत वित्तीय प्रगति की निर्धारित आवश्यकताएं और स्वीकृति का तरीका वही होगा जो रिक्तियों पर नियमित पदोन्नति के लिए भर्ती/सेवा रूलों के अंतर्गत निर्धारित है और यदि नियम/प्रस्तावों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना या पदोन्नति के लिए कोई योग्यता निर्धारित की गई है, तो वह भी इस योजना के अंतर्गत लाभ की स्वीकृति के लिए एक आवश्यक शर्त होगी, लेकिन बारह/चौबीस वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ए.सी.पी. प्रदान करने के दावे पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि ए.सी.पी. योजना के अंतर्गत ऐसी वित्तीय प्रगति केवल यथास्थान पदोन्नति है और इससे अधिक कुछ नहीं। यह सेवा/भर्ती/पदोन्नति रूल्स के अंतर्गत पदोन्नति के लिए किसी भी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने या कोई शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने की किसी भी आवश्यकता के बावजूद है।

49. संदर्भ के तहत सूचीबद्ध मामलों को अब संबंधित पीठों को निर्णय के लिए भेज दिया गया है।

50. संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

नानी तागया, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हुँ ।

(नानी तागया, न्यायमूर्ति)

पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति: मैं सहमत हुँ ।

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

प्रवीण- II/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।